ई-मेल

संख्या-MS-09/आठ-3-20-234 विविध/2017 टी०सी०

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनॉक : 15 जुलाई, 2020

विषय :- अनधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना-2020 लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाए गये हैं कि विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 तथा महायोजना एवं भवन उपविधियों में निहित प्राविधानों के उल्लघंन स्वरूप अनधिकृत निर्माण में वृद्धि हुयी है। ऐसे निर्माण का नियमितीकरण विकास प्राधिकरणों में प्रभावी शमन उपविधि-2010 के अन्तर्गत सम्भव नहीं है। ऐसे मामलों के अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण में निहित मुकदमेबाजी के फलस्वरूप प्राधिकरणों के बहुमूल्य समय/धन एवं शक्ति का ह्रास होता है तथा जनता को भी मानसिक यत्रणा का सामना करना पड़ता है। इस संबंध मे कई स्तरों से शमन योजना लाए जाने हेतु मांग भी की गयी।

2- उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत शमन उपविधि-2010 में सरलीकरण कर शमन योजना-2020 लाए जाने हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणो तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ से अभिमत प्राप्त कर तथा शमन योजना के संबंध में विकास प्राधिकरणों, स्टेकहोल्डर्स, आम जन तथा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों से दिनांक 12.02.2020 से 24.02.2020 की अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर विचार कर निदेशक, आवास बन्धु द्वारा सुविचारित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न शमन योजना-2020 लागू करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश निम्नवत् निर्देश जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. शमन योजना 2020 इस पत्र के जारी होने के दिनांक 15.07.2020 से एक सप्ताह के भीतर शमन योजना को सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा अपने-अपने अधिनियमों के अधीन विहित प्रक्रियानुसार परिचालन के माध्यम से अंगीकृत करने के उपरान्त उक्त अभिकरणों मे एक साथ दिनांक 21.7.2020 से लागू की जायेगी।

2. शमन योजना 2020 प्रभावी होने की तिथि दिनांक 21.07.2020 से केवल 06 माह की अवधि के लिए दिनाक 20.01.2021 तक ही लागू होगी तथा शमन हेतु आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप पर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा नियंत्रक प्राधिकारी को शमन योजना प्रभावी होने की अवधि दिनांक 21.07.2020 से दिनांक 20.01.2021 के भीतर आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

3. उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण प्रत्येक सप्ताह अन्त मे प्राप्त एवं निस्तारित आवेदन पत्रों तथा प्राप्त शमन शुल्क की सम्यक सूचना निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. शमन योजना 2020 के लागू रहने की अवधि मे विकास प्राधिकरण अपराधो का शमन उपविधि 2010 के प्राविधान स्थगित रहेंगे।

5. उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा शमन योजना 2020 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण योजना की 06 माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक से 03 माह के भीतर (दिनांक 21.04.2021 तक) किया जाना अनिवार्य है।

6. सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा इस योजना की जानकारी जनता को देने हेतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए और योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार शमन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण अभियान चलाकर और कैम्प आयोजित कर सुनिश्चित किया जाए।

7. उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण के स्तर पर विचाराधीन शमन संबंधी प्रकरण, जिन्हें अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, ऐसे मामलो मे शमन योजना 2020 के अन्तर्गत नये सिरे से आवेदन किया जा सकेगा।

8. शमन शुल्क की धनराशि लाभार्थी द्वारा एकमुश्त अथवा 03 मासिक किस्तों में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की दिनांक 01.4.2020 की 02 वर्षों हेतु निर्धारित एम.सी.एल.आर. दर में 01 प्रतिशत बढ़ोत्तरी (7.95+1=8.95 अर्थात 9 प्रतिशत) के साथ साधारण ब्याज़ सहित देय होगी।

<u>संलग्नक : शमन योजना–2020 की प्रति।</u>

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या– MS-09(1)/आठ–3–20–234 विविध/2017 टी०सी०–तददिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

(1) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र०।
(2) मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
(4) अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
(5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
(6) निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से कि पत्र का तामीला समस्त संबंधित को कराते हुए शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
(7) अध्यक्ष, आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन, उ०प्र०।
(8) प्रेसीडेन्ट, केडाई, उ०प्र०।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।